गुरु तेग बहादुर के नाम बनेगा ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस

350वें शहीदी दिवस के मौके पर सीएम ने किया ऐलान

नई दिल्ली/पंजाब, 25 नवंबर. आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी समारोह का भव्य समापन हो गया. सीएम ने कहा गुरु तेग बहादुर के नाम पर ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया जाएगा.

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्री समेत बढ़ी तादात में संगतों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस दौरान संगत को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ''आप'' की सरकार गुरुजी महाराज के दिखाए रास्ते पर चलकर पंजाब की जनता की सेवा कर रही है. मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है. बच्चों को अच्छी शिक्षा और परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है. किसानों को अब दिन में 8 घंटे बिजली और युवाओं को बिना रिश्वत दिए मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है. सत्ता सिर्फ सेवा का साधन है और हम सत्ता में सेवा करने के लिए आए हैं. केजरीवाल ने कहा पवित्र नगरी आनंदपुर साहिब आने पर इसके कण-कण और हवा में अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है.

गुरु महाराज की कृपा हम सब पर रहे: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे गुरुओं ने पूरे भारत वर्ष में घूम-घूम कर इंसानियत, सच्चाई, मानवता और निःस्वार्थ सेवा का संदेश दिया. हमार गुरुओं ने कहा कि नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो. उन्हीं के बताए रास्ते पर आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी ईमानदारी से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है. आज लोग पूछते हैं कि सरकार के पास इतना काम करने के लिए पैसा कहां से आया, इस आयोजन का इतना शानदार इंतजाम कैसे किया. हम गुरु जी महाराज के बताए रास्ते पर चलते हुए बड़ी ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं. चुनाव के दौरान मैंने पंजाब की जनता से वादा किया था कि आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी से सरकार चलाएगी और सरकारी खजाने का एक-एक पैसा जनता के उपर खर्च करेगी. इस पवित्र स्थान से कहना चाहता हूं कि अगर ''आप'' सरकार ने एक पैसे की भी बेइमानी की हो तो गुरु महाराज हमें जो भी सजा देंगे, हमें मंजूर है. ''आप'' सरकार ने एक पैसे की बेइमानी नहीं की है और सरकारी खजाने का पैसा जनता पर खर्च कर रही है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है. आनंदपुर साहिब में ही करीब 20 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं.

विपत्ति में अडिग रहने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है: मोदी

कुरुक्षेत्र, हरियाणा, 25 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर उस क्षण को याद किया, जिसने न केवल भारतीय इतिहास की दिशा बदली, बल्कि करोड़ों रामभक्तों के मन में नई ऊर्जा भी भरी.

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि 9 नवंबर 2019 का वह दिन उनके लिए कितना आध्यात्मिक था. जब वे डेरा बाबा नानक में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की थी कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो. संयोग ऐसा बना कि उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. कुरुक्षेत्र की दिव्य भूमि पर खड़े होकर मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय साहस, सत्य के प्रति उनके समर्पण और मानवता की रक्षा के उनके बलिदान को नमन किया.

THE MADHYA PRADESH STATE MINING CORPORATION LIMITED
Paryawas Bhawan, Block 1-'A', Floor II, Jail Road Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462011
Phone: 0755-2763391, 2763392, 2763393 & Fax : 0755-2763394
E- mail : info.mpsmc@mp.gov.in
REF No. : SMCL/1/0065/2025-SAND-MPSMCL/543 Bhopal, Dated : 25.11.2025

NOTICE FOR REQUEST FOR PROPOSAL

"Request for Proposal, Selection of Agencies for DGPS Survey of Sand Mines"

Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (MPSMCL) invites qualified survey agencies to participate in the Request for Proposal (RFP) for Selection of Agencies to conduct DGPS Survey of Sand Mines of MPSMCL in Madhya Pradesh.

KEY DETAILS :

- **Eligibility Criteria** : Please refer to the RFP Documents for detailed eligibility conditions.
- **Access to RFP Document** : Obtain the comprehensive RFP Document from the MP Tender portal accessible at **https://mptenders.gov.in or https://mpsmcl.mp.gov.in**
- **Timeline** : The last date for submission of proposals is **16.12.2025 Till 05:00 PM.**

M.P.Madhyam/123203/2025 **MANAGING DIRECTOR**

बेटियों के प्रति मानसिकता को बदलने की जरूरत

मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अभियान का शुभारंभ

नई दिल्ली, 25 नवंबर. केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज नई चेतना ङ्क पहल बदलाव की अभियान के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया.

यह राष्ट्रीय अभियान लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान और डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे. प्रवासी भारतीय केंद्र, सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक ठोस पहल कर रही है. उन्होंने बताया कि यह अभियान ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है.

> केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, हमारी कोशिश हैं कि किसी महिला की आंखों में आंसू नहीं निकले. कोई हाथ नहीं फैलाए. हर एक बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आना चाहिए, हर बहन लखपति दीदी बन जाए इसके लिए हम काम कर रहे हैं और ये होगा. दुनिया की कोई ताकत बहनों को बढ़ने से रोक नहीं सकती. उसके लिए मेरी दीदियाँ निरंतर काम कर रही हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बेटियों को गलत नजर से देखने वालों की सोच बदलना है और जरूरत पड़ने पर ऐसे तत्वों को कुचलना भी होगा.

सरकारी-प्राइवेट दोनों के 50% कर्मचारी करेंगे घर से काम

नयी दिल्ली, 25 नवंबर. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार के सभी सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठानों के लिए जारी किया. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है सोमवार शाम दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 अंक दर्ज किया गया.

आज का इतिहास

1717 स्पेनिश सैनिकों ने सर्दीनिया पर उतारा गया।
1762 एन. फ्रेंकलिन अमेरिकी अखबार न्यूपोर्ट आर आई, मर्करी की पहली महिला संपादक बनी।
1775 किंग जॉर्ज ने खुले विद्रोह में शामिल होने के लिए कॉलोनियों की घोषणा की।
1791 हाईटियन क्रांति की शुरुआत करते हुए, सेंट-डोमिंग्यू के फ्रांसीसी उपनिवेश में एक गुलाम विद्रोह हुआ।
1795 राष्ट्रीय संविधान द्वारा संविधान की पुष्टि की गई।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति पिपलिया जिला- मंदसौर (म. प्र.)

क्रमांक / मंडी/नि./ 25-26 / 706 पिपलिया, दिनांकः- 24.11.2025

- / / निविदा आमंत्रण सूचना / /-

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारो से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएँ क्रमांक 2025_MPSAM _464423_1, 2025_MPSAM _464426_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएँ दिनांक 26.11.2025 समय 10.30 से दिनांक 15.12.2025 साय 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन ई-निविदा के पोर्टल http//www.mptenders.gov.in/nicgep / app पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल http//www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, पिपलिया, जिला- मंदसौर (म.प्र.)
भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति, पिपलिया, जिला- मंदसौर (म.प्र.)

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोले- भारत की समुद्री शक्ति नई ऊंचाई पर

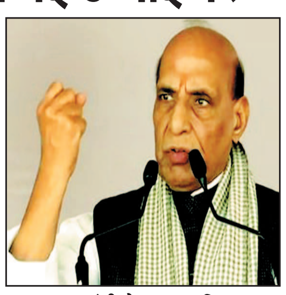

नई दिल्ली, 25 नवबंर. नई दिल्ली में आयोजित भारतीय नौसेना के सेमिनार' स्वावलंबन 2025' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के समुद्री भविष्य की नई रूपरेखा प्रस्तुत की.

उन्होंने कहा कि देश का शिपबिल्डिंग सेक्टर अब निर्णायक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसे जैसे सुधारों ने नई दिशा दी है. बढ़ती स्वदेशी सामग्री, उन्नत डिजाइन क्षमता, अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म और मजबूत सप्लाई चेन ने भारत को एक भरोसेमंद समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है. रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत के शिपयार्ड अब ब्लू इकोनॉमी की रीढ़ बनते जा रहे हैं. पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के बढ़ते उपयोग से देश न केवल टिकाऊ समुद्री विकास की ओर बढ़ रहा है बल्कि वैश्विक शिपबिल्डिंग परिदृश्य में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. आज भारत के पास न सिर्फ निर्माण क्षमता है, बल्कि रिपेयर और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी वह उभरते नेतृत्व की ओर अग्रसर है. नौसेना के स्वदेशीकरण प्रयासों और समुद्री आत्मनिर्भरता की योजनाओं को विशेष रूप से सराहा गया. रक्षा मंत्री ने बताया कि आज भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म में स्वदेशी सामग्री की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिससे सप्लाई चेन संबंधी चुनौतियां काफी घटेंगी और भारत एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभरेगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारत के शिपयार्ड अब मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, जो न केवल रक्षा जहाज बल्कि व्यापारिक और तकनीकी जहाजों के निर्माण में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि भारत की जहाज निर्माण क्षमताएं अब हरित तकनीक पर केंद्रित हो रही हैं. इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ऊर्जा दक्षता, कार्बन-न्यूट्रल समाधानों और क्लाइमेट-रेजिलिएंट मरीन सिस्टम्स पर तेजी से कार्य हो रहा है.

राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह आज

नई दिल्ली, 25 नवंबर. राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में बुधवार को यहां संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा अन्य मंत्री शामिल होंगे. संसदीय कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि संविधान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समारोह बुधवार को पूर्वाह्न 11ः00 बजे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा.

Land for Sale at Kaanha (M.P.)

Clear title land for sale in Kaanha. Ideal for farmhouse and residential plotting. Contact **9074747174 / 9072311440** for further details.

कमर्शियल वाहन की बिक्री सूचना

पार्टी का नाम	मॉडल	रजिस्ट्रेशन नं.	निर्माण वर्ष	पार्किंग स्थल
लव कुश ट्रेडर्स	TATA Winger Ambulanc	CG04 NW2484	2022 डीजल	दरबार पार्किंग यार्ड देवास, राजोदा रोड, एसआर पेट्रोल पंप के पास, देवास, मध्य प्रदेश, 455001
लव कुश ट्रेडर्स	TATA Winger Ambulanc	CG04 NW2485	2022 डीजल	
सुमेध सिंह शर्मा	MAHINDRA BLAZO_42_BULKER	MP13 ZD0662	2023 डीजल	पूजा पार्किंग यार्ड इंदौर, पटवारी हल्का नंबर 12 केलोद करताल, खंडवा रोड इंदौर म.प्र. 452020
आजम खान	MAHINDRA - CB_FURIO _17_D	AS28 AC1346	2023 डीजल	श्रीराम ऑटोमॉल इंदौर, सर्वे नंबर 860/मीन 1, 885, 860/मीन1 पैकी, 868, 885/1,860, ग्राम-निहालपुर, तहसील-मुंडी, जिला-इंदौर (म.प्र.)
संदिप सिंह	ASHOK LEYLAND LIMITED_4825	BR28 GB1282	2024 डीजल	दशमेश एसोसिएट्स पार्किंग यार्ड, बिलगा रोड साहनेवाल लुधियाना पंजाब पिन 141120

जब्त वाहन की बिक्री के लिए ''जहां है, जिस स्थिति में है'' के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

शाखा का पता : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
पाचंवी मंजिल मेट्रो टॉवर, विजय नगर स्क्वेयर, ए.बी.रोड, मंगल सिटी मॉल के पास, इन्दौर-452010, संपर्क : 7798982480, 0731-4704049, 4704050

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा (म.प्र.) 450001
(जनकार्य एवं उद्यान विभाग)

क्रमांक- 1067/ जन. वि. / ई-टेण्डरिंग / 2025 खण्डवा, दिनांकः 21/11/2025

-:: निविदा विज्ञप्ति ::-

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, उल्लेखित कार्य की निविदा का विस्तृत वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	ऑन लाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जी.एस.टी. सहित (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2025_UAD _464246_1	पदमकुंड वार्ड पापड़ वाली गली में सी.सी. रोड़ निर्माण का कार्य।	11.21 Lacs	11.210/-	2,000/-	30 दिन
2	2025_UAD _464247_1	नगर वन में मिट्टी डालने के लिए पोकलेन, जेसीबी, डंफर किराए पर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा।	27.77 Lacs	27.770/-	5,000/-	30 दिन

निविदा ऑनलाइन क्रय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनाक : 20/12/2025 (शाम 5.30 बजे तक)
निविदा खोलने की दिनांक : 22/12/2025 (प्रातः 10.30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं।

कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, खण्डवा

PUBLICATION

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
(2nd & 3rd Floor, Sanchar Vikas Bhawan, Near Head Post Office, South civil lines, Jabalpur (MP)
(Areas of jurisdiction-Madhya Pradesh & Chhattisgarh)
(Summons under sub-section (4) of Section 19 of the Act, read with sub-rule 2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (procedure) Rule 1993,
ORIGINAL APPLICATION NO. 1072/2022

HDFC BANK : Applicant
Versus
MUSTKIM KHAN AND OTHERS : Defendants

To,
(1) MUSTKIM KHAN S/O MR. DALSHER KHAN, PROPRIETOR OF FAMOUS BAKERY 8, MALI PATH, KHASKHASWADI, KHARGAON, NEAR TO MURANI MASJID, KHARGAON 451001 **Also at:** BTI ROAD, GULAB NAGAR,NEAR MUKTI DHAM, KHARGAON (M.P.) 451001 **Also at:**1 ISLAMPURA TOWN, KHARGAON BTI RAOD, KHARGAON (M.P.) 451001 (Borrower)
2. MR. MOHSIN S/O MR. MUSTAKIM, 112, KHASLHASWADI, WARD NO. 10, KHARGAON NEAR TO MURANI MASJID, KHARGAON (M.P.) 451001 (Co-applicant)
3. MR. ANISUDDIN SHEIKH ZANUDDIN S/O. MR. ZANUDDIN SHEIKH, 01 MAIN ROAD, TAAB CHOWK, KAJIPURA, KHARGOAN (M.P.) 451001 (Co-applicant)

Whereas, **OA NO.1072/2022** was listed before the Hon'ble Presiding officer on **16.09.2022**

Whereas, this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the application under Section 19 (4) of the Act, (OA) filed against you for recovery debts of **Rs.26,51,425.34/-** application along-with, copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under:

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties & assets specified by the applicant under serial number 3A of the Original Application.
(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets & properties disclosed under serial number 3A of the Original Application. pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise , except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets & properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal.
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets & properties in the ordinary course of business & deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written stated with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar **31.12.2025** on 10:30 A.M. at failing which the application shall be heard & decided in your absence.

Give under my hand and the seal of the Tribunal on this the **4th day of Nov., 2025.**

Registtar

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051, **पंजीकृत कार्यालयः** कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ।

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियाँ ("प्रतिभूत आस्तियाँ"), जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित हैं, जिनका कब्जा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ("प्रतिभूत लेनदार") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, **"जहाँ है जैसा है"**, **"जो है जैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जाएँगी। नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर, नीचे उल्लिखित बकाया राशि और उस पर आगे के ब्याज और वसूली की तारीख तक के अन्य खर्चों की वसूली के लिए, SMHFC सुरक्षित लेनदार को नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से देय।

स. क्रं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्यः / बयाना राशि जमाः	ई-नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी जमा करने की तिथि
1	लैन नं.- 619639211671579 1. पुष्पेंद्र कुमार तिवारी 2. लवली तिवारी	प्लॉट सं.30 का वह पूरा टुकड़ा, भूमि सर्वेक्षण सं. 82/2/2, पाकी, वार्ड संख्या 29 सहित, ग्राम मंडलवाड़ा रोड पर स्थित से अंदर, पी.एच. सं. 117, तहसील पीथमपुर, जिला धार, म.प्र. प्रशासन 600 वर्ग फुट अर्थात 55.742 वर्ग मीटर, सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः सड़क, पश्चिमः प्लॉट सं.24, उत्तरः प्लॉट सं. 31, दक्षिणः प्लॉट सं. 29।	रु. 4,90,000/- / रु. 49,000/-	12.12.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	11.12.2025
1	लैन नं.- 601739211373367 1. युवराज कुमार जैन 2. श्रीमती सुशीला जैन	प्लॉट संख्या 13, मेट्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा मक्सी रोड, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001, प्रशासन 167.07 वर्ग मीटर, सीमाः पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः खुली भूमि, उत्तरः प्लॉट सं.14, दक्षिणः प्लॉट सं.12	रु. 32,30,000/- / रु. 3,23,000/-	12.12.2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	11.12.2025

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर भी दिए गए हैं लिंक वेबसाइट पता (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf)। इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं: विनय राठौर, उनके मोबाइल नंबर 9827121084, ईमेलः vinay.rathour@grihashakti.com, और श्री निलोय डे, उनके मो. नं. 9920697801, ईमेलः Niloy.Dey@grihashakti.com पर।

स्थान : धार, उज्जैन, मध्य प्रदेश
दिनांक : 24.11.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता-9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMEINR000128825 (पुराना) 80300005781337 (नया) (इंदौर शाखा) श्री विजय निर्गुण (उधारकर्ता) श्रीमती मोनिका निर्गुण, श्री पवन निर्गुण (सह-उधारकर्ता)	12.11.2025 रू. 41,49,107/- (03.11.2025 तक)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसमें जमीन और भवन शामिल हैं भूखंड/मकान संख्या 1052 का दक्षिणी भाग, पंचालय संख्या 25, क्षेत्रफल- 1200 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 15, ग्राम- मंडलेश्वर, तहसील-महेश्वर, जिला-खरगोन, पश्चिम निमाड़, मध्य प्रदेश-451224, निम्नलिखित सीमाएँ: उत्तरः आशा पत्नी पवन को उपहार में दी गई संपत्ति का एक हिस्सा निर्गुण दक्षिणः महेंद्र कुमार सोलंकी का गलियारा मकान पूर्वः गली/सरकारी जमीन पश्चिमः दूसरों की खुली जमीन
2.	(ऋण खाता संख्या) LNMEMND000051807 (पुराना) 80400005880468 (नया) (मंदसौर शाखा) LNMESHA000081304 (पुराना) 80400005846745 (नया) (शामगढ़ शाखा) श्री सोनू पाटीदार उधारकर्ता) श्री रवि पाटीदार, श्रीमती गंगा बाई, श्री मोहन लाल पाटीदार (सह-उधारकर्ता)	13.11.2025 रू. 29,79,594/- (03.11.2025 तक)	भूमि और भवन का वह पूरा टुकड़ा जो मकान है सं. 112, पी.एच.सं. 45, क्षेत्रफल- 14280 वर्ग फुट, वार्ड सं. 06, गाँव- धलपट, तहसील- सुवासरा, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश - 458888 निम्नलिखित सीमाएँ: उत्तरः भगवानलाल जी का प्लॉट दक्षिणः सड़क पूर्वः नानालाल जी का मकान पश्चिमः मांगीलाल जी का मकान
3.	(ऋण खाता संख्या) LNMEKHD000038452 (पुराना) 80400005714772 (नया) LNMEKHD000031003 (पुराना) 80400005714312 (नया) (खंडवा शाखा) श्रीमान गोपाल टेमकर (उधारकर्ता) श्रीमती वैशाली टेमकर (सह-उधारकर्ता)	12.11.2025 रू. 75,59,655/- (04.11.2025 तक)	संपत्ति संख्या 1ः व्यपवर्तित भूमि का वह पूरा टुकड़ा ग्राम चापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर में व्यावसायिक संपत्ति, जिसका बी. क्रमांक 48, पीएच नं. 37, खसरा क्रं. 80/1, खसरा क्रं. 80 का दक्षिणी भाग, क्षेत्रफल 0.315 हेक्टेयर मध्य प्रदेश - 450445, सीमा इस प्रकार हैः उत्तरः द्रविंद्र मोर का शेष क्षेत्र, दक्षिणः खेत खसरा क्रमांक 78, पूर्वः कच्चा रास्ता, पश्चिमः खेत खसरा क्रमांक 79/1, 2, 3 संपत्ति संख्या 2ः व्यपवर्तित भूमि का वह पूरा टुकड़ा ग्राम चापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर में व्यावसायिक संपत्ति, पुराना खसरा क्रमांक 80, नया खसरा क्रमांक 80/2, क्षेत्रफल 0.315 हेक्टेयर (33906 वर्ग फुट), मध्य प्रदेश - 450445 सीमाः उत्तरः खसरा संख्या 81 की भूमि दक्षिणः विक्रेता की शेष भूमि पूर्वः सड़क पश्चिमः खसरा संख्या 79/1,2,3 की भूमि
4.	(ऋण खाता संख्या) LNMEUJN000092934 (पुराना) 80400005890036 (नया) (उज्जैन शाखा) श्री माखन सिंह (उधारकर्ता) श्री रणजीत सिंह, श्रीमती कुशल कुँवर सिसौदिया अलिस श्रीमती कुशाई कुँवर सिसौदिया, श्री पृथ्वीराज सिंह चौहान (सह-उधारकर्ता)	12.11.2025 रू. 26,71,880/- (03.11.2025 तक)	भूमि और भवन सहित संपत्ति का पूरा टुकड़ा। मकान संख्या 152, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, वृत संख्या 02। नया पटवारी हल्का संख्या 57 (पुराना पटवारी हल्का संख्या 39) गाँव -रूपाखेड़ी, तहसील - माकड़ोन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456668 सीमाः पूर्वः पुरुषोत्तम का मकान पश्चिमः आम सड़क उत्तरः टीकम शर्मा का मकान दक्षिणः रूपाखेड़ी रोड
5.	(ऋण खाता संख्या) LNMEBWN000143384 (पुराना) 80300005570300 (नया) (बड़वानी शाखा) श्री अमजद खान (उधारकर्ता) श्रीमती लाल बी खान उपनाम लालाबी खान (सह-उधारकर्ता)	10.11.2025 रू. 23,02,709/- (03.11.2025 तक)	प्लॉट संख्या 79 पर भूमि और भवन का पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, "पूजा एस्टेट कॉलोनी" में स्थित वार्ड क्रमांक 15, ग्राम बड़वानी नगर पालिका बड़वानी, ग्राम बड़वानी, तहसील और जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश - 451551 सीमाः पूर्वः कॉलोनी का प्लॉट संख्या 71, पश्चिमः कॉलोनी की सड़क, उत्तरः कॉलोनी का प्लॉट संख्या 78, दक्षिणः कॉलोनी की सड़क
6.	(ऋण खाता संख्या LNMEIN4000123056 (पुराना) 80300005650019 (नया) (इंदौर शाखा) श्री अभिषेक कटारा (उधारकर्ता) श्रीमती अवंती कटारा, श्री शंकर लाल कटारा (सह-उधारकर्ता)	11.11.2025 रू. 26,64,900/- (03.11.2025 तक)	भूमि और भवन का पूरा टुकड़ा, आवासीय संपत्ति, पी.एच. संख्या 19, रानी व्रट 02, वार्ड संख्या 3, भूमि सर्वेक्षण संख्या 244/3 पैकी, कस्बा कांटाफोड़, तहसील सतवास, जिला देवास, मध्य प्रदेश - 455440, कुल क्षेत्रफल - 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर)। सीमाः पूर्वः द्वारका प्रसाद की भूमि, पश्चिमः बिंजवाड़ा-कांटाफोड़ मार्ग, उत्तरः द्वारका प्रसाद की भूमि, दक्षिणः नरेंद्र मोहनलाल और कृष्ण मुरारी पड़त थाला
7.	(ऋण खाता संख्या) LNMEIND000023091 (पुराना) 80300005683162 (नया) (इंदौर शाखा) मेसर्स बड़तिया एंटरप्राइजेज इसके स्वामी - श्री विष्णु जाधवंत (उधारकर्ता) के माध्यम से श्री विष्णु जाधवंत, श्रीमती सीमा जाधवंत (सह-उधारकर्ता)	12.11.2025 रू. 20,28,545/- (04.11.2025 तक)	आवासीय संपत्ति का पूरा टुकड़ा जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, मकान संख्या 154, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर) वार्ड संख्या 16, श्री सेठ मिश्रीलाल नगर, देवास, मध्य प्रदेश - 455001 सीमाः पूर्वः मकान प्लॉट संख्या 187 पर पश्चिमः कॉलोनी रोड उत्तरः मकान प्लॉट संख्या 153 पर दक्षिणः मकान प्लॉट संख्या 155 पर।
8.	(ऋण खाता संख्या LNMEINR000027321 (पुराना) 80900005762736 (नया) (इंदौर शाखा) श्रीमती रेखा गढ़वाल (उधारकर्ता) श्री गौरव गडवाल (सह-उधारकर्ता)	11.11.2025 रू. 37,77,430/- (01.11.2025 तक)	संपत्ति की अनुसूचीः मु. का पूरा टुकड़ा और पार्सल। मकान संख्या 1752-ए, क्षेत्रफल 1806 वर्ग फुट, नया गौरी नगर, तहसील और जिला इंदौर, मध्य प्रदेश 452010, और उस पर निर्माण कार्य। सीमाः निम्नानुसारः उत्तरः प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट, पूर्वः मकान, पश्चिमः सड़क
9.	(ऋण खाता संख्या) LNMEMND000056253 (पुराना) 80400005880939 (नया) LNMEMN1000156728 (पुराना) 81200005876750 (नया) (मंदसौर शाखा) श्री ईश्वर लाल कुमावत पुत्र -जगदीश कुमावत (उधारकर्ता) श्री रामकन्या कुमावत पत्नी ईश्वर लाल कुमावत (सह-उधारकर्ता)	10.11.2025 रू. 27,98,533/- (03.11.2025 तक)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसमें जमीन और भवन शामिल हैं मकान संख्या 93, क्षेत्रफल 1440 वर्ग फुट, कुमावत मंदिर गली, वार्ड संख्या 5, दलोट, तहसील - अरनोद, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान - 312619, निम्नलिखित सीमाएँ: उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः नारायण का मकान पुत्र दीपा जी : पश्चिमः रमेश का मकान पुत्र बंसीवाला

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 26-11-2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए